श्रीयुत जय माता स्टोन क्रशर मालिक श्री मोहन सिंह, नदी स्तर खनन, गांव रतयोड, डा0 पंजेहरा तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा खनन क्षेत्र 12.4503 हैक्टेयर (165.09बीघा) (खसरा नं0 43/1) मौजा ढलांथा, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) कुल क्षेत्रफल 12.4503 हैक्टेयर से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन संबन्धी कार्यवाही का विवरण

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.06.2013 को प्रातः 11:00 बजे गांव बगलेहर डा0 पंझेरा, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) में श्रीयुत जय माता स्टोन क्रशर मालिक श्री मोहन सिंह, द्वारा गांव रतयोड, डा0 पंझेरा, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा नदी स्तर खनन क्षेत्र 12.4503 हैक्टेयर **(165.09बीघा)** से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0-एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान सहायक खनन अधिकारी जिला सोलन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन, प्रतिनिधि मत्स्य विभाग, सोलन व पंचायत प्रधान कुण्डलु, जोघों, बगलैहर व पंजेहरा एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं ग्राम पचायतों के निवासी उपस्थित थे। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री प्रवीण गुप्ता, पर्यावरण अभियंता द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उददेश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिलाधीश सोलन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको पूर्ण स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की तथा मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रस्तुति सक्षेप में दें ताकि सबकी रिकारडिंग की जा सके। केवल परियोजना से सम्बन्धित ही इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच पूछ सकते हैं। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के प्रतिनिधि मैसर्ज शिवालिक सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0, ग्राम माजरा, डा0 दभोटा, तहसील नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0 द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री सरदार सिंह ढिलो, प्रधान ग्राम पंचायत जोघों नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0 ।	हमारी जमीने काला कुढ नहीं है जो इसमें पिछले 40 वर्षों से खनन चला है जितना भी यहां से माल उठता है 98प्रतिशत पंजाब तथा 2 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में बेकता है। इस नदी का सर्वेक्षण किया जाये तो 150फूट के गडढे जोझों,जगतपुर जमीनों में पानी लगता था अब कोई पानी की सुविधा नहीं है। सारी स्कीमें फेल हो रही है। हरियाली एवं जंगलात भी नहीं दिखते सारे का सारा नक्शा बदल चुका है। हमारा पर्यावरण खराब को चुका है इतना खनन हो रहा है जिससे जीना दुर्लभ हो गया है। अगर खनन	

		होता रहा तो इतना नुकशान होगा कि खडडे ही खडडे नजर आयेंगे। ट्रेक्टरो वाले कई लोग इन खडडों में मर चुके हैं। तो देखा जाये तो 90 फुट तक नदी में खनन से खडडे पडे हैं। जिसपर सरकार, प्रशासन कोई अनुपालना नही कर रही है। इसी नदी से लोग पत्थर उठा-उठा कर बेच रहे हैं। आम आदमी को उठाने नहीं दिये जाते हैं। उनके लिये रेता, बजरी नहीं मिल रहा है। पत्थर तक उठाने नहीं दिये जाते है। क्रशर वाले तो मनमर्जी से उठाते हैं उन्हें भी नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। नदी की लीज नहीं होनी चाहिए मैं विरोध करता हूं।	
2.	श्री बग्गा राम ठाकुर, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत मलैहणी, तहसील नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0 ।	मेरी जमीन इस नदी के किनारे पर है इस नदी में अवैध रूप से खनन हो रहा है। आज हमारे चार गांव की ऐसी दशा है कि जो इस नदी में कभी भी वह सकते हैं। वह इस नदी में वह जाऐंगे। 3 फुट नहीं यहां हर साल सैंकडों फुट के हिसाव से खनन होता है। प्रशासन की कोई रोक नहीं है। ट्रकों के आने जाने की कोई सुविधा नही है। धुल व मिटटी से हमारे लोग टी0वी0 के शिकार हो रहे हैं। नजदीक के लोगों को कोई सस्ते में रेत व बजरी नहीं मिलता है न ही कोई क्रशर वाला देता है। लीज नहीं होनी चाहिए अगर होती है तो हम प्रर्दशन करेंगे।	
3.	श्री प्यारे लाल, गांव पटेहड पल्लु, नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	प्रधान जोझों एवं भाई बग्गा राम को मैं धन्यवाद करता हूं। हम कहते हैं कि खनन नहीं होना चाहिए। अगर खनन नहीं होगा तो हमारी छतें एवं मकान किससे बनेंगे। खनन की लिमीट होनी चाहिए न कि बंद होनी चाहिए। कहते हैं कि कुएं गहरे हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि इन 10 गांव के लोगों के 20 टयूब वैल होते थे अब 27 टयूब वैल हैं। आज हमें पानी की दिक्कत आ रही है तो खनन से नहीं है। आज हमें पानी नहीं मिल रहा है तो खनन के कारण नहीं। सरकार प्रत्येक जिला में 15 करोड खर्चे के लिये दे रही है तो हमारी सडकें, स्कूल, मंदिर, पंचायतें एवं भवन किससे बनने हैं। हमारे बच्चों को कहां से रोजगार मिलना है। नालागढ में डी0एस0पी0 ने 30 हजार रूपये व 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। हमारे टिपरों को सडकों में पकडा गया। मैंने डी0एस0पी0 को बोला कि आप ऐसा करेंगे तो मैं कहीं से छुडा दूं। हमारे रास्ते भी पक्के होने चाहिए। प्रधान किस को मुंह दिखाएंगे अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं कहना चाहूँगा	अतिरिक्त जिलाधीश सोलन ने कहा कि व्यक्तिगत बात कोई न रखें यह कोई मंच नहीं है। जन सुनवाई में सही तथ्यों को रखें। व्यक्तिगत तौर पर कोई न बोलें। यह बातें आगे-पिछे रखें। जो भी बोलना चाहे परियोजना से सम्बन्धित ही बोलें एवं संक्षिप्त रूप से बोलें पक्ष या विपक्ष की बात को ही रखें। पुरानी बात को बार-बार न रखें।

		कि आज हरिनारायण होते तो सारे काम सही होते। पब्लिक को जुर्माना हो रहा है वह न होता जो 25 या 15 हजार हो रहा है वह भी विधायक नहीं होने देते। विधायक की डयूटी होती है कि हमारे घरों में आ रहे अधिकारियों/कर्मचारी जो पावर में हैं वह अपनी डयूटी में अप शब्द न इस्तेमाल करें। हमारा धंधा चलना चाहिए। पंचायतों का भी काम हो सके। साम के समय जो टरैक्टरों में चोरी करते हुए मिलें उन्हें रोकें। जिन्होंने टरैक्टर लगाए हैं वह चपरासी है या अमीर है सबने अपने टरैक्टर रखें है। सबको रेत व बजरी की आवश्यकता पडती है कोई बताए कि किने रेत व बजरी की आवश्यकता नहीं है। जिससे हमारे परिवार का पालन-पोषण भी हो रहा है। प्रशासन से भी अनुरोध है कि खनन की अनुमति तथा क्रशर को चलने देने में अनुमति प्रदान करें।	
4.	श्री अकबर मालिक, गांव रिया जोझों, तह0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	हम इस एरिया जोझों में ही पले-पढे हैं। हमारा जीवन इन नदियों से ही बडा हुआ है। जबसे हमारा धंधा पत्थर का बंद हुआ बेरोजगार हो गए। सारी जिन्दगी क्या करेंगे। हमरे भाईयों ने कहा कि खनन की चोरी होती है टरैक्टरों से धूल उठती है। पंजाब में रेता बजरी जे0सी0बी0 से निकाली जाती है। हमरे सारे लोग इसी नदी पर निर्भर हैं। मंदिरों, मस्जिदों को निसुल्क रेता अगर आज दिया जाता है तो रूहानी स्टोन क्रशर कोई मनाही नहीं करता है। छोटे आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। जो लोग बोल रहे हैं वह कोई अधिकारी है, टिचर या फोज से रिटायर हैं जिन्हे पैन्शन लगी है। हमारे बच्चे बी0बी0एन0 में कार्य करने के लायक भी नहीं हैं। क्रशर या खनन से कोई पर्यावरण खराब नहीं हो रहा है। अगर पर्यावरण खराब हो रहा है तो बी0बी0एन0 औद्योगिककरण से प्रदूषण बढ रहा है। एक आम आदमी ने एक टरैक्टर रखा है तो बडे पैसे वालों ने चार-चार टरैक्टर रखे हैं। कमजोर व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है अमीरों ने आपना काम बढा रखा है। यह धंधा चलना चाहिए। हमारा रोजगार इस पर ही निर्भर है। अगर इस बारे पता होता कि जन सुनवाई लीज खुलने सम्बन्धी है तो हमारे गांव के बुढे, बच्चे व नौजवान सब आते। हम गरीब लोग हैं हमारा धंधा चलना चाहिए। गरीब कोई गलत काम नहीं करता है। अगर कोई गलत काम करता है तो अमीर आदमी ही करता है	

		क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होता है।	
5.	श्री राम नाथ, गांव कुंडलू दलाथों, तहसील नालागढ जिला सोलन हि0प्र0।	जो भूमि पहाडों के बारे में चर्चा हो रही है। 43/1 का कब ज्वांईट निरीक्षण हुआ। राजस्व विभाग द्वारा इसे कब 43/1 किया गया है। मैं यहां 20 वर्षों से हूं कोई निरीक्षण नहीं हुआ कैसे यह जमीन स्लैक्ट हुई। हमारे भाई प्यारे लाल ने कहा कि 27 टयूब बैल हैं। इस मलैहनी, कुंण्डलू और जोईं की स्कीमें फेल हो जायेगी। कितने पेड खडे हैं, जंगलात जमीन है, प्राईवेट भूमि है। अब में दावे के साथ कह सकता हूं कि निरीक्षण किया जाये 4 मकान खण्डित हुए हैं। वह नदी में वह सकते हैं कोई नक्सा मुसबी नहीं। राजस्व सर्वे ठीक नहीं हुआ है। लीज नहीं होनी चाहिए। पैसे की बात की कोई मिस्त्री नहीं टरैक्टर स्वयं हित के लिये रखें हैं न कि भलाई के रूप में कोई काम करते हैं। आपसे निवेदन है कि लीज नहीं होनी चाहिए। 40 गांव ऐतराज करते हैं। लिखित प्रस्ताव भी दे रहे हैं।	
6.	श्री रणवीर सिंह, गांव खरूणी जोझों, त0 नालागढ,	जो हमारे प्रधानों ने कहा अच्छा कहा। इन्हें कोई दूबारा प्रधान बनने की आवश्यकता नहीं है। सारी जमीनों को देखें, घूमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खनन से हमें फायदा हुआ जो नदी के समीप लोग रह रहे हैं उन्हें मालूम है। लीज होनी चाहिए हमारा धन्धा चला रहना चाहिए। हम टरैक्टरों का टैक्स देते हैं। खडड में कोई जे0सी0बी0 नहीं लगती न कोई खनन कार्य बंद है न ही कोई वहां मरा है। सब झूठ बोल रहे हैं। यहां जो करींदे बैठे हैं वह सब रिटायर फौजी, अधिकारी व कर्मचारी हैं जिन्हे पैन्शन लगी हुई है। हमने तो खडड से रेता, बजरी इक्कटठा करके गुजारा करना है। इसलिये लीज होनी चाहिए।	अतिरिक्त जिलाधीश सोलन ने कहा कि हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर प्रतिकिया ही करते रहें तो अच्छा नहीं होता। जो भी बोलना चाहे परियोजना से सम्बन्धित ही बोलें एवं संक्षिप्त रूप से बोलें पक्ष या विपक्ष की बात को ही रखें। पुरानी बात को बार-बार न रखें।
7.	श्रीमति मनजीत, प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डलू, त0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	मेरे गांव वालों को कोई पता नहीं था कि मिटींग किस लिये हो रही है। हमें यहां पता लगा कि खनन हेतु जन सुनवाई है। मैंने सोचा कि ट्रैक्टर वालों की मिटींग हो रही है। आपको पता नहीं हमारे गांव में जन सुनवाई होनी चाहिए थी न कि यहां होनी चाहिए थी। पहले जे0सी0बी0 लगी थी उन्हें पता नहीं कि कुंण्डलू गांव वालों का क्या है। जबकि कुण्डलू के पांच गांव के प्रधानों ने रोका परन्तु कोई मानने को तैयार नहीं हैं। हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। दो वर्षों से हमारा ऐरिया फेल हुआ है। हम इसका एतराज करते हैं। रिटन में में लिखा है जो दे रही हूं।	

8.	श्री जगदीश सिंह दुखिया, अध्यक्ष, हिम परिवेश नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	हमारी संस्था केवल पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। मैं सबसे पहले संस्था की तरफ से कहना चाहता हूँ कि बी0बी0एन एरिया की जो खडडें या नदी है उनकी लीज नहीं होनी चाहिए। 3 फुट का कहां से खनन हो रहा है। जे0सी0वी0 कब नहीं लगी। क्या मुझे पता नहीं कि जे0सी0वी0 लगी है या नहीं। मैंने इस बारे में उपायुक्त, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं खनन विभाग को भी लिखा है। मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से खनन लगभग 10 वर्षों तक बंद होना चाहिए। ये हमारी धरती माता है क्या हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते कब तक इसे खोदते एवं खनन करते रहेंगे। धरती माता को समझते नहीं उस पर जे0सी0वी0 चला-चला कर उसे त्रस्ट-नस्ट कर रहें हैं। ट्रैक्टर वाले भी हमारे ही रिस्तेदार हैं कितने लोगों ने पोलट्री फार्म खोल रखें क्या खनन के इलावा कोई और कार्य नहीं है। क्या ट्रैक्टरों की वजह से अमीर हो जायेंगे। अब अपने किते तो बदलो जरा। मैं रिक्वैस्ट करता हूँ कि ई0आई0ए0 को किसी किसान ने देखा क्या इसमें खामियां है। हैदराबाद से सलाहकार आये ई0आई0ए0 बनाई उसमें हमने देखा किसान की कोई बात नहीं है, जिसका खेत साथ लगता है उसका नाम, गांव तो नही तो ई0आई0ए0 का क्या मतलब रह गया इसमें सब झूठ होता है। जे0पी0 की रिपोर्ट को देखें तो उसमें दर्शाई गई नदी का पानी लुधियाण क्षेत्र में मिलता है लिखा था वह क्या ठीक थी। नालागढ क्षेत्र में कितना प्रदूषण हो रहा है उनके बारे में सोचा। ट्रैक्टरों से कितना प्रदूषण हो रहा है, हमारे भाई बैंकों में जाते है ट्रैक्टर खरीदने के लिये लोन लेते हैं कोई और कारोबार नहीं देख सकते। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हवा व पानी के नमूनों को देखें तो जो एलिमैन्ट इनमे आए हैं उन्हें कोई जानता है। हमने पैसा नहीं देखना है। पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। हमारे एल भी खनन की बजह से गिर रहे हैं। पैसा सरकार कितनी बार लगाये। लेवल देखें तो भयानक रूप धारण कर चुकी है। लाल मिटटी निकल चुकी है। सभी नदियों में रटेनिंग वाल लगनी चाहिए। कहां कितना माल लगा कोई पता नहीं। कोई हिसाब-किताब नहीं है। बी0बी0एन में इतना प्रदूषण बढ चुका है जीना दुर्लभ है। सब खडडों की लीज नहीं होनी चाहिए।	

9.	श्री नंद लाल, गांव बेडा, तह0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	मकान में पलस्तर होना है उसके लिये रेता की आवश्यकता पडती है। नया मकान बनाना है उसमें भी रेता, बजरी की जरूरत पडती है। खनन का कार्य बंद हो जाये तो हमारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा। सडकों की हालत कैसै सुधरेगी। सरकार कोई नीति बनाकर कमेटी गठित करें ताकि खनन का कार्य चलता रहे और लोगों को लीज मिलती रहे। खनन की अनुमति होनी चाहिए	
10.	श्री मेवा सिंह, सी0एच0टी0 रिटायर, दभोटा तह0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	खडडें गहरी हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार खनन को बंद न करें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को रेत व बजरी की जरूरत पडती है जिसके द्वारा मकान व रास्ते आदि बनाये जाते हैं। मैं ग्रीवेन्सीज कमेटी दभोटा का सदस्य हूं । मैं कहना चाहता हूं कि मटोडी में एक पहाडी है जो सारी गंजी है उसमें किसी तरह का घास या पेड नहीं है जंगलात वाले है क्यों न उस पहाडी से पत्थर नेकाला जाये। क्योंकि हरेक व्यक्ति को रेता व बजरी की आवश्यकता है। श्री कृष्ण लाल ने कहा कि सकडें पक्की करनी है उनके लिये भी रेता व बजरी की जरूरत है। इसलिये रेता, बजरी का काम चलना चाहिए। राजस्व निरमानुार बुंरदी, घासनी वह जमीन थी वहां से खनन हो रहा था। हमारे गावं में अपनी जमीन है क्या उससे रेता बजरी नहीं उठा सकते हैं। क्या वहां से तेल, सोना निकालेंगे। सरकार अपनी जमीन से उठाने की अनुमति को नहीं रोकती। फीसरीज वाले टेंक के लिये 20 प्रतिशत सबसिडी देते हैं केन्द्र सरकार द्वारा 40 प्रतिशत तक दी जाती है । अतः शपथ पत्र में शर्तों के आधार पर जमीनदार के लिये रेता, बजरी उठाने के लिये सबको मौका देना चाहिए। मैंने जोझों के अन्दर ही 10वीं पास की। पानी, हवा की कोई दिक्कत नहीं आई। जोझों से लेकर पखेरी तक टयूब वैल लगा दिये तो 50 फुट की खोदाई के बाद पानी कहां से आयेगा। हमारे सारे गांव वालों की गुजारिस है कि खनन की अनुमति मिलनी चाहिए। 3 फुट की खनन अनुमति ही होनी चाहिए। अगर खडडा ज्यादा किये जाए तो फाईन लगे।	
11.	श्री राम कुमार शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत पंजेहरा, तह0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	जन सुनवाई में जो चर्चा हो रही है जिसमें मुख्य महत्व है पर्यावरण। हमारी पांच पंचायतों के लगभग 3000 परिवार आश्रित हैं अगर अपने घर का इस्टीमेट भी बनाना है तो सबसे पहले रेत, बजरी के लिये सोचना पडता है। पहले उसके	

		लिये सोचना नहीं पडता था। मैं ग्राम पंचायत का प्रधान होने के नाते कहता हूँ कि रेत व बजरी 5000 में मिल रही है पहले 500 में मिलती थी। कितनी महंगी हो गई है। 3 लाख से 15 लाख तक पंचायतों को फण्ड मिल रहा है वहां भी बिना रेत-बजरी के कैसे काम होंगे। इसलिये जन सुनवाई का मतलब है मापदण्डों के आधार पर खनन की अनुमति दें। सीमेन्ट कम्पनियां आ रही हैं। किसी का काम होना है। सभी लोगों को मापदण्डों के आधार पर खनन की अनुमति देनी चाहिए। लीज हो जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ आज जैसे सिमेन्ट पैक्ट में बिक रहा है उसी तरह से आने वाले समय में रेता-बजरी भी एक किलो के पैक्ट में बिकेगा।	
12.	श्री विनोद ठाकुर, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	मेरा मानना है कि जब से लीज बंद है सब लोगों की चिन्ता बढती चली आई है। लीज जल्द से जल्द खुल जानी चाहिए। जो जनता बैठी है मैं चाहता हूँ उनमें से कितने पक्ष में हैं अपना हाथ खडा करें। कैमरे वाले सारे रिकार्ड कर रहे हैं यहां देखें तो केवल मात्र 15 लोगों के हाथ नीचे हैं जबकि लगभग 300 लोग यहां उपस्थित होंगे। इन लोगों ने एरिया को बदनाम कर रखा है। मैं और उपस्थित जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम को दिल्ली भेजो और मंजुर करवाओ ताकि लीज हो और लोगों का काम चले।	

जन-सुनवाई के समापन से पूर्व कार्रवाही के सार को अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा उपस्थित लोगों के समक्ष बताया गया। तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया। अन्त मे अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सोलन द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त जिलाधीश,
सोलन, जिला सोलन हि.प्र.।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.05.2013 को प्रातः 11:00 बजे गावं बगलेहर, डा० पंजेहरा में श्रीयुत जय माता स्टोन क्रशर मालिक श्री मोहन सिंह, नदी स्तर खनन, मौजा दलाथां, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा खनन क्षेत्र 12.4503 हैक्टेयर, 165.09 बीघा (खसरा नं0 43/1) तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) कुल क्षेत्रफल 12.4503 हैक्टेयर से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आम जनता की उपस्थिति।

क्र0 संख्या	अधिकारी/कर्मचारी/ग्राम वासी का नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
1	Subhash Sharma	Consultant	[signature]
2	Siponsor	owner	[signature]
3	Rajeev Thakur	Ex. Shivalik	[signature]
4	Tarun Kumar	Lab I/c SSWMC	[signature]
5	Bhupinder Singh	G. Public	[signature]
6	Taljeet Singh Vill Bagheri	do	[signature]
7	Kanal Jeet Kumar	-do-	[signature]
8	[illegible] Singh	-do-	[signature]
9	Ricky Rang	do -	Ricky Rang
10	Padam Ranota	do	[signature]
11	Gurnamjot Singh	do	[signature]
12	Pawan Kumar	do	[signature]
13	Hardeep Singh	do	[signature]
14	Satish Kumar	MG	[signature]
15	[illegible]	G. Public	[signature]
16	[illegible]	do	[signature]
17	गुरनाम सिंह		गुरनाम सिंह
18	[illegible]	Pradhan	[signature]
19	[illegible]	Ex. Pradhan	[signature]

20	[illegible]	G Public	[illegible]
21	H. R Chandel	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	Baglehi	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	PURAN Thakur	Labour	[illegible]
25	[illegible]	up [illegible]	[illegible]
26	[illegible] Ram	Public	[illegible]
27	[illegible]	Public	[illegible]
28	Ram [illegible]	Public	[illegible]
29	[illegible]	Public	[illegible]
30	Dara Singh vi Pardhan	vi Pardhan	[illegible]
31	[illegible]	Public	[illegible]
32	[illegible]	Public	[illegible]
33	I S Chandel	Public	[illegible]
34	Ram Singh	F.O. [illegible]	[illegible] 03/6/13
35	Rajkumar	Public	[illegible]
36	Amar Chand	Public	Amar Chand
37	[illegible]	Public	Rampur
38	Kamal Chand	Public	Rampur
39	[illegible] Singh	Public	Rampur
40	[illegible]	Madan Lal	Madan Lal
41	Jagtar Singh	Public	Jagtar Singh
42	Mohinder [illegible]	Public	Mohinder [illegible]
43	Krishan Kumar	Public	Krishan Kumar
44	Girdhar Singh	Public	[illegible]

45	[illegible] Kumar	Public	[illegible]
46	[illegible]	"	[illegible]
47	[illegible] Ram	Public	[illegible]
48	Joginder	"	[illegible]
49	Surinder Singh	[illegible]	Surinder Singh
50	Jasvinder	[illegible]	Jasvinder
51	Rampal	[illegible]	Rampal
52	SUKH RAM	[illegible]	SUKHRAM
53	Kamal Singh	[illegible]	Kamal Singh
54	Surender Singh [illegible]	[illegible]	[illegible]
55	Balwinder Singh	[illegible]	[illegible]
56	Randhir Singh	[illegible]	[illegible]
57	Dayal Chand	"	[illegible]
58	[illegible]	Public	[illegible]
59	Gurdial	Public	Gurdial
60	Karam Chand	"	Karam Chand
61	[illegible]	"	[illegible]
62	Ram [illegible]	"	Ram [illegible]
63	Gurdas Singh	"	[illegible]
64	[illegible]	"	[illegible]
65	Bir Chand	"	Bir Chand
66	[illegible]	"	[illegible]
67	[illegible]	"	[illegible]
68	[illegible]	"	[illegible]

69 Inder Singh " [illegible]

70 Ranjit Ram E.O. [illegible] [illegible]

71 Prem Chand Ami [illegible] [illegible]

72 Ashwani Verma M.I. Solan [illegible]

73 Er. [illegible] Gupta Deptt of Env. S&T Shimla [illegible]

74 Dr. B.L. [illegible] HPPCB Baddi [illegible]

75)	कृष्णदास	Public	दामृत्यंप
76)	Manojkumar	Cater Plant	Manoj
77	J.S. Dukki	Plant Shift	[illegible]
78	दीपक सिंह	Hon. KUVESH Memb. P.	[illegible]
79	Vinod Thakur	Chairman	[illegible]
80	बलदेव सिंह प्रधान G.P. कारसोली		[illegible]
81	Lakhsingh	Public	[illegible]
82	ASHOKKUMAR	Pardhan G.P. Nawangaon	Ashok Kumar
83)	मलकियत सिंह	G. Public	मलकियत सिंह
84)	Vijay Thakur	Pardhan G.P. Baruma	[illegible]
85)	बलराम	पूर्व उप प्रधान गांव [illegible]	[illegible]
86)	चूहड़ा राम	पब्लिक	[illegible]
87	Salig Ram	उप प्रधान ग्राम पंचायत मलैहणी	Chuhrah, सालिग राम
88	ओमप्रकाश प्रधान G.P. मलैहणी		ओमप्रकाश
89	Roshan Lal	कैलाशा	[illegible]
90	Sukh Ram	"	[illegible]
91)	राम नाथ		Sukh Ram
92)	किशनचंद	[illegible]	राम नाथ
93)	गुरनाम सिंह	कसडेहरा सैण	किशनचंद
94	Amar Singh	प्रधान [illegible]	Gurnamsingh
95	Manjit Kaur	Pardhan Kandla	[illegible]
96	Hardev Singh	Public	[illegible]
97	Sita Ram	[illegible]	[illegible]
98	Amrik Singh	Public	[illegible]
99	Lekh Ram	Agri Kuldhal	Sakedl, Joginder

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sqkey Jo[illegible]
100	Puran Singh	Agriculture	[illegible]
101	Kamal Singh	— do —	[illegible]
102	Jagat Singh	T.P. Public	[illegible]
103	Sithal Singh	Public	[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत कुण्डलु

विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०) – 174101

पत्र संख्या.................. दिनांक..........................

सेवा में

उप मण्डलाधिकारी नालागढ़,
जिला सोलन, हि॰ प्र॰ ।

विषय → खसरा नं॰ 43/1 मौजा टलाथीं में से पत्थर, रेत बजरी उठाने बारे मौजा कुण्डलु में दिनांक 03-06-2013 को रखी बैठक बारे में ।

महोदय

मेम्बर सचिव कार्यालय पत्र 1851-55 दिनांक 25-04-2013 उपरोक्त बैठक बारे गांव टलाथीं, कुण्डलू हवाणी के बाशींदगान देह की बैठक बुलाई गई। जिसमें श्री हरदेव सिंह को सभी हाजिर उपस्थितगण ने सर्वसम्मत से निर्णयलेन हेतु प्रदान चुना है। जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया ।

① → खसरा नं॰ 43/1 मौजा टलाथीं का कभी कोई निरीक्षण स्थानिय बाशिंदगान देह व मैम्बरान व पंचायत के समक्ष कभी नहीं हुआ। इसलिए इस खसरा नं॰ से निकासी पत्थर बजरी आदि नहीं किया जाए।

2 → यह खसरा नं॰ कुण्डलू नदी 40 गाँवों के बहाव में स्थित है। जिसमें बरसात मौसम में अत्यन्त बरसात पानी आता है। कटाव का भय है। जिससे मौजा टलाथीं जो पहले ही टलान अवस्था में है और अधिक हानि होने का भय है। इसलिए इस खसरा नं॰ में खनन होना उचित नहीं है और न ही किया जाना चाहिए।

3 → खसरा नं॰ 43/1 में खनन होने से वाटर सप्लाई स्कीम व वाटर सप्लाई स्कीम कुण्डलु व हवाणी व आसपास कुहल नालियों को खेतों में खनन होने से पानी खुश्क होने का भय है। इसमें खनन होना उचित नहीं है। ये काबिल एतराज है।

→ P. T. O. ←

(4) → वर्ष 1998–1999 में इस ~~नद~~ नदी में तीन जिक कुण्डलू खड्ड नं० एक, कुण्डलू खड्ड नं० 2, कुण्डलू खड्ड नं० 3 बनाई गई थी जिनके द्वारा इनमें बांध, डंगे ओर लगाए गए हैं, चलाई गई थी। जिनको भी खनन होने से हानि हो सकती है। ये भी काबिले एतराज है।

(5) → खसरा नं० 53/1 में अन्य प्रकार के बेशकीमती पौधों की जरखेज नस्ल है। जिसमें शीशम, नीम, खैर आदि के पौधे हैं। खनन होने से इनका विनाश हो सकता है। इसलिए भी इसमें खनन उचित नहीं है। ये भी काबिले एतराज है।

(6) → इस खसरा नं० के साथ मौजा लोधी से 1½ कि०मी० तक जरनैली सड़क जो नालागढ़ से स्वारघाट को गुजरती है, इस खसरा नं० में खनन होने से सड़क को नुकसान होने का अंदेशा है।

(7) → गाँव ढलाओं, कुण्डलू, हवाणी और सोहरी की काश्तवगैरमशरूका भूमि को पहले से ही इस नदी से कटाव चल रहा है। इस खसरा नं० में खनन होने से उपरोक्त गाँवों की भूमि को अत्यन्त नुकसान होने का भय है।

(8) → इस खसरा नं० में गाँव लोधी, कुण्डलू, ढलाओं व हवाणी मलेहणी, सोहरी, पुरला, जगाणी, आदि के श्मशान घाट स्थित हैं जिनको इस खनन से नुकसान का भय है।

(9) → हम बाशिंदगान इस बात से हैरान हैं कि खसरा नं० 53/1 मौजा ढलाओं की है। जबकि इसमें खनन करने हेतु बैठक मौजा बगलेहड़ में रखी गई है। उक्त तो बाशिंदगान ढलाओं व कुण्डलू आदि के लोगों को कुण्डलू में सुनना चाहिए जिसे नजरअंदाज किया गया।

⟶ P. T. O. ⟵

कार्यालय ग्राम पंचायत कुण्डलु

विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०) – 174101

पत्र संख्या.................. दिनांक........................

उपरोक्त कि बिनाह पर निवेदन है कि खसरा नं 43/1 मौजा टलावाँ में खनन न करने के आदेश पारित किये जाएं। आपकी अति कृपा होगी।

1. प्रतिलिपि जिला खनन अधिकारी सोलन।
2. प्रतिलिपि जिलाधीश अधिकारी सोलन।

1. कातब → हरदेव सिंह [signature]
2. राम नाथ राम नाथ

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत कुण्डलू
वि० ख० नालागढ़, सोलन हि.प्र.

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत मझौली
वि० ख० [illegible]

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत [redacted] बगलेहर
वि० ख० नालागढ़, सोलन हि.प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत कुण्डलु

विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०) – 174101

P. T. O.

पत्र संख्या नाम हस्ताक्षर दिनांक........................

3	किशन चन्द	किशन चंद
4	दुर्गा दास	दुर्गादास
5	ओंकार सिंह	O. Singh
6	मेहर सिंह	मेहर सिंह
7	रवैल चन्द लाला	[illegible]
8	किशन चन्द	किशन चन्द
9	विधि चन्द	विधि चन्द
10	श्यामानन्द	[illegible]
11	रोशन लाल	Roshan lal
12	नन्द लाल	Nandlal
13	[illegible]पाल	[illegible]
14	[illegible] कुमार	[illegible]
15	देवी सिंह	D. Singh
16	अमर सिंह	Amar Singh
17	राम [illegible]	[illegible]
18	सुख राम	सुख राम
19	[illegible] कुमार	[illegible]
20	राधे श्याम	राधे श्याम
21	प्रेम चन्द	Prem chand
22	सुमित दत्त	Sumit Dutt
23	शेर सिंह	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]

25	विक्रम ठाकुर	Vikram thakur
26	सुनील कुमार	Sunil Kumar
27	धर्म सिंह	धर्म सिंह
28	राज कुमार	Raj Kumar
29	सुभाष चन्द	[signature]
30	संदीप कुमार	[signature]
31	मुकेश कुमार	mukesh kumar
32	यशवीर	यशवीर कुमार
33	विकास गौतम	Vikas Gautam
34	सदीप खान	[signature]
35	हरि किशन	Hari kishan
36	गुरनाम सिंह	[signature]
37	सुखराम	Sukhram
38	नारायण सिंह	Narayan Singh
39	लच्छी सिंह	लच्छी सिंह
40	सन्तोख सिंह	Santokh Singh
41	राम प्यारा	राम प्यारा
42	रामनाथ	Ramnath
43	जगत राम	जगत राम
44	वेद प्रकाश	[signature]
45	बाबूराम	Babu Ram
46	नारायणदास	Narayan Dass
47	बखाराम	बखाराम
48	सालिग राम	Salig Ram

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत कुण्डलू
वि० ख० नालागढ़, सोलन हि.प्र.

प्रधान सीता

44	[illegible]
	S.Rameshi
45	Amrit Singh
	[signature]
46	प्रमन सिंह कौशल [signature]
47	
48	Kamal Singh
49	Sikander [illegible]
50	Jagjit [signature]
51	

Proceedings of Environmental Public Hearing of M/s Jai Mata Stone Crusher, owner Sh. Mohan Singh of river bed mining for the collection of sand, Bajari, stone of mining area 12.4503 hectare (165.09 bighas) (Khasra No 43/1) Mauja Dhalantha, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P

Environmental public hearing was organized by HP State Pollution Control Board on 3.06.2013 at 11:00 AM at Vill Baglehar PO Panjhera, Teh. Nalagarh , Distt. Solan, H.P. of M/s Jai Mata Stone Crusher, Vill Ratyod PO Panjhera, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H P. for river bed mining area 12.4503 hectare (165.09 bighas) for the collection of sand, bajri & stone. This environmental public hearing was held as per EIA notification no. SO 1533 dt. 14.09.2006 under the chairmanship of Additional Deputy Commissioner, Solan. The attendance sheet of the present people is attached as annexure-1. During this public hearing, Representative from Mining Department Solan, Representative of Deptt. of Science, Environment & Technology Shimla, Regional Transport Officer Solan, Representatives of fishery Department & Pradhans from Kundlu, Jogo, Baglehar and Panjhera Panchayat and local people were present in the public hearing. First of all Sh. Parveen Gupta Env Engineer HPPCB welcomed Additional Deputy Commissioner. Sh. Parveen Gupta Environmental Engineer addressed the Govt. officers and people were present in the public hearing and made aware the public regarding motive of public hearing. Then Additional Deputy Commissioner asked the people to give their suggestions, views and queries regarding mining activities. After that, Regional Officer HPPCB invited the Environmental Consultant of Stone Crusher M/s Shiwalik Solid Waste Management Ltd Vill. Majra P.O. Dabhota Tehsil Nalagarh Distt. Solan H.P. to deliver their technical details regarding river bed mining activities.

After that, with due permission of chairman, the proceedings of environmental public hearing was started and the entire proceedings were video graphed. The State Govt. shall forward this document to Ministry of Environment and Forest, New Delhi. During the course of public hearing several issues/queries were raised by the people and comments/reply on the same are as below:

Sr. No	Name and Address	Issues	Comments
1.	Sh. Sardar Singh Dhillon, Pradhan Gram Panchayat Jhongho, Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	He said that our land is not barren and the mining activity still continue since 40 years back and most of the material (98%) of this land is transported to Punjab Area and rest 2% is being used in HP. If we conduct the inspection the river, then you will found 150 feet deep lagoons. The villagers of Jogon and Jagatpur use this water for irrigation purpose, but now there is scarcity of water, all the water schemes were effected. Our environment is polluting day by day and it is very difficult to	No Comments

		survive. He further said that that some causalities are being occurred due to unscientific mining activity. In this regard administration should not take care of this episode. The truck operators lift the stone from the river as per their convinces. He further protested and further said that mining lease should not be granted.	
2.	Sh. Bagga Ram Thakur Ex-Pradhan Gram Panchayat Malhani, Nalagarh Distt Solan HP	He said that my land falls across the river and there is illegal mining activity is carrying out. At this time, the situation is critical of four villages ,which are across this river. He further said that administration does not take any steps regarding these facts. We are suffered from tuberculosis due to dust arising from mining activities. We do not get the sand and stone at cheaper rate for the people live nearby the stone crusher. He further protested and further said that mining lease should not be granted.	No Comments
3.	Sh. Pyare Lala Vill Pater, Nalagarh Distt Solan HP	He thanked to the Pradhan of Jogon and brother Bagga Ram to speak in public hearing. He said that mining activity not performed, then how we will built our houses. There should be limitation of mining, but the same is not stopped. He further said that in ten villages there is 20 tube wells and now the no. of tubewells increased upto 27 nos. Due to these more tubewells, the water table is going very low. But mining activity is not the reason for the same. The Govt. is spending 15 crores rupees in each Distt. for development activities like temples, build up of roads, schools of panchayat and buildings. The DSP of Nalagarh, Police has challaned 10 and 30 thousand for tractors and tippers. He further	No Comments

		said that our path should be pakka & concreted and if the Pradhan of concerned Panchayat do not perform their duties, then it is insult of Pradhan. He spoke that in favour of former M.L.A. Late Sh. Hari Narayan. He said that it is a duty of M.L.A. that Govt. officers/employees should not enter in our house without any permission. The govt. officers and employees should not used unparliamentarily language. He said that mining activity should be continued. Due to the operation of stone crusher the Panchayat can do their work timely. He further said that there is urgent need of sand and stone of every person due to operation of stone crusher and mining activity. Our families are living on this business. He requested to the administration that the mining should be started and grant the permission accordingly.	
4.	Sh. Akbar Malik Vill Jogon, Nalagarh Distt Solan HP	He said that our living and study is carrying in this area. We are living in good condition due to this river. Whenever the stones not lifted from rivers, we are unemployed. He further said that our brother told regarding illegal mining and dust arise from the tractors. The sand and stone is recovered by the JCB in Punjab Area and our all people depend upon the river mining . He praised the M/s Ruhani Stone Crusher that they will send the stone and sand for Temples and Masjid at free of cost. He said that there is no any hearing of poor people and all the speakers are officers, teachers, army retired and they are getting pensions. He further said that due to operation of stone crusher and mining activity , the environment is not effected. If there is a	No Comments

		fluctuation in environment, this is due to industrial activities in BBN area. He said that we are poor families and all are based on this business. He further said that poor people do not work wrong and richest people always do the wrong thing, because they have no fear.	
5.	SH. Ram Nath Vill Kundlu Dalathon, Nalagarh Distt Solan HP	He said that we are discussing the land related to the hills. We do not know that when the joint inspection was conducted of Khasra no 43/1 and revenue department. He said that I am living since 20 years back but there is no any inspection carried out of above khasra no. he further said that if inspection carried out then four houses is going to be destroyed and they will be fell down in river. Revenue Department did not conduct survey correctly, so that lease should not be granted in favour of unit. He requested to the administration that lease should not be granted. The 40 villagers objected and also submitted their sentiments in the written.	No Comments
6.	Sh. Ranvir Singh Vill Kharuni Jongo, Nalagarh Dist: Solan HP	He said that our Pradhan discuss the issues of mining and they have no need to become Pradhan again. If you conducted the inspection of mining area then there is a no problem. We got benefit from mining activities. The mining activities should be continued and our business of tractor shall be run good. There is no use of JCB machines and illegal mining in rivers. There is no any other causality in river and they are speaking lie. They are retired from army and officers & employees are also retired from Govt. Departments. They are getting pension Our living is based on this business only. The mining activity	No Comments

		should be continued.	
7.	Smt. Manjeet Pradhan Gram Panchayat Kundlu, Nalagarh Distt Solan HP	She said that the people of my village do not know about public hearing, but we know from reliable sources that public hearing is conducted w.r.t. mining activities. I think that this meeting is organized by truck operators. She claimed that the public hearing should be conducted in my village, but not this place only. The truck operator used JCB machines for purpose of mining and village kundlu is in danger. She said that in our village, there is no provision of water supply and our area has been converted into plane since two year back. She strongly objected and protested the mining lease should not be granted (copy of written statement enclosed)	
8.	Sh. Jagdish Singh Dukhia, Chairman Him Parivesh Nalagarh Distt Solan Hp	He said that our NGO is working in field of environment. I want to speak from the NGOs that the lease of rivers of BBN area should not be granted. JCB machines are being used for mining activities. I wrote many letters to the DC, Pollution Control Board and mining authorities regarding above facts. I think the mining lease should be stopped upto 10 years as per environment point of view. The land is our Mother, we should protect or even dugged and perform mining activity. Even JCB machines are used on it. Truck operators are also our relatives. He said that many peoples opened poultry farm and there is lot of work inspite of mining. The tractor is not only the source to become rich. He said that EIA report made by the consultant in the office without ant field visit. He also particularly mentioned about the consultancy of Hyderabad who prepared EIA, but he said that there is nothing mentioned about	

		the farmers in the EIA report. If there is not mention about their farm , name and village, then what the use of this EIA. He also said about JP report mentioned the direction of rivers flow towards Luhan area. It it right, he claimed. There is lot of pollution in Nalagarh area and tractor also create pollution problem but no body bothered about it. If we see the result of Air & Water, then you observed that alarming stage has been reached. The water is going very low and bridges are damaged due to mining. Red soil has been come in river bed. There should be a retaining wall across the river. The pollution load is increasing in BBN area day by day and it is very difficult to survive. According my point of view, the mining lease should not be granted of river and khud.	
9.	Sh Nand Lal Vill. Khera, Nalagarh Distt Solan HP	He said that cement is required to built up a house and sand is also the need to built up the same It is impossible to built up a house without sand and bajri. If the mining activity has been stopped, it is very difficult to our children to got the employment and how the situation of the roads can be improved. Govt should formulate a committee, so that mining activity should be carried out in a scientific manner. Stone crusher should granted the mining lease.	No Comments
10	Sh. Mewa Singh C.H.T. Rtd. Vill Dabhota, Nalagarh Distt Solan HP	He said that rivers day by day is going to be deep. I want to say that Govt should not stop the mining activity because every person require sand and stone to build up a house and path to the villages. He said that I am the member of grievances committee Dabhota. He said that there is hill in Bhatodi and now the area become plain and there is no any	

		vegetation Why not the stone could not mined from this hill because every body need sand and stone. As per the statement of the Sh. Krishan Lal, the roads should be mettled and for this purpose there is also requirement of sand and stone He further said that in our village there is a land, whether we could not lift the sand and stone from it. The Govt. should provide the permission to lift the stone from his own land. Govt. granted 20% subsidy for fishery and central Govt. provide 40% for the same He said that I passed 10th examination from Jongo, there is no problem of air and water. There are lot of tube wells dugged from Jongo to Pakhri ,so it is impossible to meet the water at the depth of 50 feet. He requested the administration that mining lease should be granted. If there is a illegal mining, there should be provision of fine.	
11	Sh. Ram Kumar Sharma Pradhan Gram Panchayat Panjehra, Nalagarh HP	He said that the discussion held in public hearing is the main motive of protection of environment. There are about 3000 families belong covered under 5 Panchayats. If we want to prepare the estimate of our house then we first of all think about sand and stone. I am the Pradhan of Gram Panchayat. He said that earlier the sand and stone found Rs 500/- but now the same is found Rs 5000/-. Three Lack to 15 Lackh fund granted to the various development activity, but same could not be started without sand and stone. So it is mandatory that mining activity should be carried out as per prescribed norms and the mining lease should be granted. He said that we would get sand and stone in packets in future like cement bags and in coming	

		time 1 Kg sand and stone shall be sold in packets.	
2	Sh. Vinod Thakur Ex-Chairman of Nagar Parishad, Nalagarh Distt Solan HP	He said that according my opinion lease should be opened immediately and there is lot of trouble for the people. Lease should be continued as soon as possible. He also requested to the public to raise their hands in favour of mining and he also requested to the administration to take photographs and record their consent. Out of 300 people, 13 peoples are not raise their hands. He said that these peoples have not good reputation in this area. He further requested the administration that mining should be granted and as soon as possible, the proceeding should be sent to the New Delhi for clearance, so that lease should be granted timely and people got employment opportunity.	

At the end of the public hearing the proceeding was concluded by Additional Deputy Commissioner, Solan, Distt. Solan, H.P. and he said that all the proceeding of public hearing was recorded and the same shall be sent to Govt of India along with photographs and soft copy the public hearing. At last, the Additional Deputy Commissioner thanked the public to participate in this public hearing.

Additional Deputy Commissioner
Solan, Distt. Solan, H.P.

Addl. Deputy Commissioner
Solan Distt. Solan (H.P.)